



हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 2015-2016

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	समीक्षा व समालोचना	I-X
1	प्रशासनिक संरचना	1-3
2	सहकारी आन्दोलन का अवलोकन	4-36
3	औद्योगिक सहकारिताओं की प्रगति	37-41
4	सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण	42
5	लेखा परीक्षा व्यवस्था	43-45
6	पंचवर्षीय योजना में सहकारिता की प्रगति	46-47
7	चौकसी ब्यूरो से संबंधित सूचना	48
अनुलग्नक	विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था	49-52

**Administrative Report of Cooperation Department Haryana
for the year 2015-16 "Review"**

1.1 This is 50th Annual Administrative Report of Co-operation Department, Haryana, after the creation of Haryana State on 1st November 1966. The report includes the information pertaining to 8 Apex Co-operative Institutions, Central Co-operative Institutions and Primary Co-operative Societies registered under the Haryana Co-operative Societies Act, 1984.

1.2 In the beginning of the year, the total number of all types of Co-operative Societies were 28683 which dropped to 28171 at the end of the year. During the year, 328 Co-operative Societies have been registered and the registration of 889 Co-operative Societies has been cancelled.

1.3 In the beginning of the year, total membership of all types of Co-operatives was 53.09 lacs which has increased to 53.11 lacs at the end of the year.

1.4 The total paid-up-share capital of all types of Co-operatives was Rs. 1570.10 crore in the beginning of the year and at the end of the year, it has come to Rs. 2200.81 crore.

1.5 In the beginning of the year, the total owned capital of all types of Co-operatives was Rs 3180.68 crore which has dropped to Rs 2875.33 crore at the end of the year. The working capital of all Co-operatives was Rs 28883.00 crore, which has increased to Rs. 43775.74 crore at the end of the year.

1.6 In Haryana State, there are Primary Agriculture Co-operative Societies since 2006, which are popularly known as PACS. Majority of the people living in rural areas in the State are deriving benefit of Short Term and Medium Term Credit facilities from the concerned Primary Agriculture Co-operative Societies. Besides, at District level there are District Primary Agriculture and Rural Development Banks which meet the requirements of long term loan of needy persons residing in their areas of operation.

1.7 CREDIT BUSINESS

In Haryana State, Co-operative Societies play an important role to provide loan to needy persons/farmers as per their requirement. Co-operative Societies namely Central Co-operative Banks, Urban Banks, Primary Agriculture Co-operative Societies, Housing Societies and Non Agriculture Thrift and Credit Societies provide Long Term, Mid Term and Short Term loans to them. During the year under report Rs 12685.52 crore loan has been disbursed by the Credit Co-operatives Societies to their members.

(ii)

1.8 MARKETING CO-OPERATIVES

The Co-operative Marketing-cum-Processing Societies in the State are working at the block level, whereas Haryana State Co-operative Supply & Marketing Federation Ltd. (HAFED) is established at the State level to make available remunerative prices for the agriculture produce etc. HAFED undertakes its most of the business through the Co-operative Marketing-cum-Processing Societies. These Societies have purchased the Agriculture produce worth Rs. 2783.65 crore during the year. HAFED has transacted business of Rs.8780.11 crore and has purchased Rs. 465876.00 lacs M.T. agriculture produce (Wheat & Paddy) as Govt. Agency during the current year. HAFED has established different types of processing units. HAFED distributed/supplied Rs. 46990.62 lacs worth of chemical fertilizer and pesticides worth Rs. 3928.41 lacs during the year. HAFED has its own godowns having capacity of 12.30 lacs M.T.

1.9 INDUSTRIAL CO-OPERATIVES

There are four types of Primary Co-operative Industrial Societies and two State level Federations of Industrial Societies in the State. One federation namely Haryana State Co-operative Industrial Federation Ltd. has its headquarter at Panchkula and other namely Haryana State Co-operative Handloom Weavers Apex Society headquarter at Panipat. At present both the above State level federations of industrial societies are under liquidation.

1.10 SUGAR CO-OPERATIVES

During the year, following 10 Co-operative Sugar Mills working in the State:-

- | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1. Panipat | 2. Sonapat | 3. Karnal | 4. Jind | 5. Shahbad(M) |
| 6. Palwal | 7. Kaithal | 8. Meham | 9. Rohtak | 10. Gohana |

During the year, under report, 29.44 lacs quintal sugar was produced by crushing 294.76 lacs quintals of Sugarcane.

1.11 DAIRY CO-OPERATIVES

There are 6080 Primary Co-operative Milk Producer Societies working in various villages and towns of the State to provide reasonable price to the milk producers. These milk societies have purchased 1594.97 lac liters of milk during the year which is 1.39 lacs liters less in comparison to last year. Haryana State Dairy Development Co-operative Federation Ltd. is established at the State level, which is playing admirable role in conducting the dairy development programmes. There are 6

(iii)

Milk Plants functioning in the State. These plants process the milk collected by the milk societies and also sell the milk and milk products at reasonable price.

1.12 HOUSING CO-OPERATIVES

In order to provide housing facilities to the needy persons, Haryana State Co-operative Housing Federation Ltd. is established at State level whereas Primary Co-operative House Building Societies and Co-operative Group Housing Societies are functioning at town and city level. Housing Federation Ltd. provides financial assistance to needy persons for construction of houses through the Primary Co-operative House Building Societies. Haryana Urban Development Authority allocates land for construction of houses to the Primary Co-operative Group Housing Societies on priority basis. The members of Group Housing Societies through self-investment construct the flats on the land allotted by HUDA.

1.13 LABOUR AND CONSTRUCTION CO-OPERATIVES

Till the year, 7665 Primary Co-operative Labour and Construction Societies have been working in the State. These societies have provided employment to the weaker sections of society on reasonable wages. The people of weaker sections unite for forming of co-operative labour and construction societies and become eligible for earning income thwarting the efforts of the contractors who usually try to exploit them. During the year these societies have executed the construction work worth Rs. 15928.00 lacs. The Haryana State Co-operative Labour and Construction Federation Limited established at State level, provides the assistance for solving the problems of District Labour & Construction Federation and Primary Co-operative Labour & Construction Societies.

1.14 CONSUMER CO-OPERATIVES

Main purpose of organizing Consumer Co-operatives is to make available consumer goods to the people on reasonable rates. There is a three-tier Co-operative Consumer Structure in Haryana to serve the consumers. At the State level, there is a State Federation of Co-operative Consumer Stores Ltd.(CONFED), at Sub-Division level there are Central Co-operative Consumer Stores Limited and at the town level there are Primary Co-operative Consumer Stores serving the consumers of the State.

1.15 Haryana State Cooperative Development Federation Ltd.

The Haryana State Cooperative Development Federation Ltd. popularly known as HARCOPED came into existence on 1st November, 1966. HARCOPED is entrusted with the activities relating to Member Education and Training to employees and also publicizing the activities and achievements of Co-operatives. Its main activities are

(iv)

Co-operative Education & Training, Publicity & Public Relation and Printing Work. During the year, 2851 women were covered by organizing 16 women seminars. In 10 programmes on awareness about Right to Information Act 2005, 1532 members were covered and in other 89 programmes under Publicity of Cooperation, 3587 members were covered.

1.16 Centre of Co-operative Management, Rohtak

Centre of Co-operative Management, Rohtak is playing an important role to run Co-operative Training Programmes successfully in the State. This institute conducts Junior Basic Course of six months. The Institute provides training to employees of Central Co-operative Societies, Primary Co-operative Societies and Sub-Inspectors of Co-operative Department regarding Co-operative Movement, Co-operative Law, Aims and benefits of Co-operation. Duration of this course is 24 weeks. It has its own Training Building and Hostel.

Dated: 18.04.2017

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Co-operation Department.

(v)

Administrative Report of the Co-operation Department Haryana for the year 2015-2016.

" CRITIQUE "

1. During the year under report, whereas the membership of the Co-operative Societies in the State has decreased, there is also decrease in the total number of the societies. The total number of Co-operative Societies in the State was 28683 at the end of the last year. Whereas this number dropped to 28171 at the end of the year 2015-2016.
2. During the year under report 5844 societies earned a profit of Rs. 22324.36 lacs. There is decrease in the number of societies as well as amount of profit as compared to last year. 13644 societies suffered loss of Rs. 88960.75 lacs. Other than these societies, there are 8683 societies which have no profit no loss.
3. During the year under report, 656 cases of Embezzlement were pending and 05 cases of Embezzlement involving an amount of Rs.42.18 lacs were detected. During the previous year this amount was Rs. 123.34 lacs. During the reported year, 07 cases of Embezzlement have been disposed off and Rs. 37.28 lacs have been recovered.

Dated: 18.04.2017

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Co-operation Department.

(vi)

सहकारिता विभाग हरियाणा की वर्ष 2015-2016 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

समीक्षा

1.1 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य बनने के बाद सहकारिता विभाग हरियाणा की यह 50वीं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सहकारी समितियों अधिनियम-1984 के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाली सहकारी शिखर संस्थाओं, केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं तथा प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित सूचनाएं दर्शाई गई हैं।

1.2 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 28683 थी जो कि वर्ष के अन्त में 28171 रह गई। वर्ष के दौरान कुल 328 सहकारी समितियां पंजीकृत हुईं और 989 सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द किया गया।

1.3 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारिताओं की कुल सदस्यता 53.09 लाख थी जो कि वर्ष के अन्त में 53.11 लाख हो गई।

1.4 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारिताओं की कुल प्रदत्त अंश पूंजी 1570.10 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष के अन्त में 2200.81 करोड़ रुपये हो गयी।

1.5 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारिताओं की कुल निजी निधियां 3180.68 करोड़ रुपये थी जोकि वर्ष के अन्त में 2875.33 करोड़ रुपये रह गई और कुल कार्यशील पूंजी 28883.10 करोड़ रुपये थी जोकि वर्ष के अन्त में 43775.74 करोड़ रुपये हो गयी।

1.6 हरियाणा राज्य में 2006 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्यरत हैं जो पैक्स के नाम से जानी जाती हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग संबंधित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से अल्पकालिक व मध्यकालिक ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अपने क्षेत्रों के सभी आवश्यकतावान लोगों की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

1.7 ऋण व्यवसाय

हरियाणा राज्य में सहकारी संस्थाएँ राज्य के आवश्यकतावान व्यक्तियों/किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य भूमिका निभाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शहरी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, आवास समितियां तथा गैर कृषि बचत एवं उधार समितियां दीर्घकालीन अवधि, मध्यकालीन अवधि तथा अल्पकालीन अवधि के लिये ऋण प्रदान करती हैं। वर्ष के दौरान उधार सहकारिताओं द्वारा अपने सदस्यों को 12685.52 करोड़ रुपये ऋण प्रदान किया गया।

(vii)

1.8 विपणन सहकारिताएं

राज्य में विपणन सहकारिताओं के रूप में ब्लॉक स्तर पर सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियां स्थापित हैं और कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी विपणन एवं वितरण प्रसंग लि० (हैफेड) स्थापित है। हैफेड अपने अधिकांश कारोबार का संचालन सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों के माध्यम से करती है। सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों द्वारा वर्ष के दौरान 2783.65 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि उपज का क्रय किया गया। हैफेड द्वारा वर्ष के दौरान 8780.11 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया तथा 465876.00 लाख मि० टन कृषि उपज (गेहूं तथा धान) की सरकारी एजेंन्सी के रूप में खरीद की गई। हैफेड द्वारा भिन्न-2 प्रकार की अभिसंस्करण ईकाइयां स्थापित की हुई हैं। हैफेड द्वारा वर्ष के दौरान 46990.62 लाख रुपये व 3928.41 लाख रुपये मूल्य की रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाईयां वितरित/पूर्ति की गई। हैफेड के पास 12.30 लाख मि० टन क्षमता के अपने गोदाम हैं।

1.9 औद्योगिक सहकारिताएं

राज्य में चार प्रकार की औद्योगिक सहकारी समितियां हैं और औद्योगिक समितियों के दो राज्य स्तरीय प्रसंग हैं। "हरियाणा राज्य सहकारी औद्योगिक प्रसंग लि०" नाम वाले प्रसंग का मुख्यालय पंचकूला में है तथा दूसरा हरियाणा राज्य सहकारी बुनकर शिखर समिति लि० पानीपत में है। इस समय औद्योगिक समितियों के राज्य स्तरीय उक्त दोनों प्रसंग परिसमापनाधीन हैं।

1.10 चीनी सहकारिताएं

वर्ष के दौरान राज्य में निम्नलिखित 10 सहकारी चीनी मिलें कार्यरत रही थी जो निम्न स्थानों पर स्थापित हैं।

1. पानीपत 2. सोनीपत 3. करनाल 4. जींद 5. शाहबाद (मारकण्डा)
6. पलवल 7. कैथल 8. महम 9. रोहतक 10. गोहाना

वर्ष के दौरान इन मिलों द्वारा 297.76 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 29.44 लाख क्विंटल चीनी तैयार की गयी थी।

1.11 दुग्ध/डेयरी सहकारिताएं

दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने के लिए 6080 प्राथमिक सहकारी दूध समितियां राज्य के अधिकांश ग्रामों व कस्बों में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान इन दुग्ध समितियों द्वारा 1594.97 लाख लीटर दूध क्रय किया गया जोकि गत वर्ष की तुलना में 1.39 लाख लीटर कम है। राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी डेयरी विकास प्रसंग लि० स्थापित है जो कि डेयरी विकास कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी प्रकार से संचालित करने में प्रशंसनीय भूमिका निभा

(viii)

रहा है। राज्य में 6 मिल्क प्लांट कार्यरत हैं। यह प्लांट दुग्ध समितियों द्वारा एकत्रित किए गए दूध को संशोधित करते हैं और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उचित मूल्य पर बिक्री भी करते हैं।

1.12 आवास सहकारिताएं

राज्य के जरूरतमंद लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लि० व कस्बों तथा शहरों में प्राथमिक सहकारी आवास समितियां व प्राथमिक सहकारी ग्रुप आवास समितियां कार्यरत हैं। आवास प्रसंघ प्राथमिक सहकारी आवास समितियों के माध्यम से आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को ऋण प्रदान करता है। प्राथमिक सहकारी ग्रुप आवास समितियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवास भवन निर्माण करने के लिए भूमि का आबंटन किया जाता है, उस भूमि पर सदस्य स्वयं अपने निवेश से आवास भवन का निर्माण करते हैं।

1.13 श्रम एवं निर्माण सहकारिताएं

वर्ष के दौरान राज्य में 7665 प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां कार्यरत रही। यह समितियां कमजोर वर्गों के लोगों को उचित दर पर रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। कमजोर वर्गों के लोग सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के रूप में संगठित होकर उनके शोषण के लिए प्रयासरत रहने वाले ठेकेदारों के चंगुल से बचने तथा समितियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ के स्वयं हकदार बनने में समर्थ हो जाते हैं। वर्ष के दौरान इन समितियों द्वारा 15928.00 लाख रुपये के निर्माण कार्य किए गए। राज्य स्तर पर स्थापित हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लि०, जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण संघों व प्राथमिक श्रम एवं निर्माण समितियों की समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है।

1.14 उपभोक्ता सहकारिताएं

जनमानस को उपभोक्ता वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना उपभोक्ता सहकारिताओं का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ताओं की सेवा के लिए राज्य में उपभोक्ता सहकारिताओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित है। राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार प्रसंघ लि० (कॉन्फेड) और उपमण्डल स्तर पर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार तथा कस्बों के स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार राज्य के उपभोक्ताओं के लिए सेवारत हैं।

1.15 हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि०, चण्डीगढ़।

यह शीर्ष संस्था जिसको हरकोफेड के नाम से जाना जाता है, एक नवम्बर 1966 को अस्तित्व में आई। हरकोफेड द्वारा अपने सदस्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए सहकारिताओं की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रचार भी किया जा रहा है। संस्था की मुख्य गतिविधियां, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, प्रचार एवं लोक

(ix)

सम्पर्क, मुद्रण कार्य हैं। वर्ष के दौरान महिलाओं के 16 परिसंवाद (सेमिनार) करवाये गए जिसमें 2851 महिलाओं ने भाग लिया। सूचना के अधिकार के अधिनियम, 2005 की जागरूकता के लिए 10 कार्यक्रम करवाये गए, जिसमें 1532 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 89 कार्यक्रम सहकारिता के प्रचार के लिए करवाये गए, जिसमें 3587 सदस्यों का योगदान रहा।

1.16 सहकारी प्रबंध केन्द्र, रोहतक।

राज्य में सहकारी प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहकारी प्रबंध केन्द्र, रोहतक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान में केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं व प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों तथा सहकारी विभाग के उप-निरीक्षकों को राज्य के सहकारी आंदोलन व सहकारी विधि विधान तथा सहकारिता के उद्देश्यों व लाभों आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस कोर्स की अवधि 24 सप्ताह की है। प्रशिक्षण संस्थान के पास प्रशिक्षण भवन तथा हॉस्टल है।

दिनांक: 18.04.2017

धीरा खण्डेलवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

(x)

समालोचना

सहकारिता विभाग की वर्ष 2015-2016 की प्रशासनिक रिपोर्ट

1. रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य में जहां सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या घटी वहीं सहकारी समितियों की कुल संख्या में भी कमी हुई। गत वर्ष के अन्त में राज्य में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की कुल संख्या 28683 थी जबकि वर्ष 2015-2016 के अन्त में यह संख्या 28171 रह गई।
2. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 5844 समितियों ने मु. 22324.36 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया। गत वर्ष की तुलना में लाभान्वित समितियों एवं साथ ही साथ लाभ की राशि में कमी हुई। 13644 समितियां मु. 88960.75 लाख रुपये के घाटे में रही। उक्त समितियों के अतिरिक्त 8683 समितियां ऐसी रही जिनमें न लाभ हुआ न हानि।
3. रिपोर्टाधीन वर्ष में 656 गबन के मामले लम्बित थे। वर्ष के दौरान 42.18 लाख रुपये के 05 गबन के मामले पकड़े गये, गत वर्ष यह राशि 123.34 लाख रुपये थी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 07 गबन के मामलों का निपटान किया गया और 37.28 लाख रुपये की वसूली की गई।

दिनांक: 18.04.2017

धीरा खण्डेलवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

सहकारिता विभाग हरियाणा की वर्ष 2015-2016 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय-1

प्रशासनिक संरचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा का, सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी विभाग के विभागीय अध्यक्ष के रूप में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पद पर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के सामान्य प्रशासन एवं नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होता है जिसे विभागीय विधान के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं:-

वर्ष 2015-2016 के दौरान रजिस्ट्रार सहित प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी मुख्यालय में विभिन्न पदों पर पदासीन रहे तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के जो पद मुख्यालय में स्वीकृत हैं उनका ब्यौरा निम्नलिखित है।

क्र० सं०	अधिकारी का पद	अधिकारी का नाम
1	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस
2	अपर रजिस्ट्रार प्रशासन	श्री अनुराग ढालिया, एच.सी.एस
3	अपर रजिस्ट्रार ऋण	रिक्त
4	अपर रजिस्ट्रार भण्डार	रिक्त
5	अपर रजिस्ट्रार विपणन	रिक्त
6	मुख्य लेखा परीक्षक	रिक्त
7	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक	श्री राजेन्द्र सिंह
8	संयुक्त रजिस्ट्रार गोदाम	रिक्त
9	संयुक्त रजिस्ट्रार इनफोर्समेंट	रिक्त
10	उप-रजिस्ट्रार योजना	श्रीमती कविता धनखड़
11	उप-रजिस्ट्रार औद्योगिक	श्री योगेश शर्मा
12	उप-मुख्य लेखा परीक्षक	रिक्त

द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मुख्यालय में स्वीकृत पद :

क्र० सं०	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	उप जिला न्यायवादी	1
2	स्थापना अधिकारी	1
3	सहायक रजिस्ट्रार	1
4	आंकडा अधिकारी (सा.)	1
5	आंकडा अधिकारी (मो.)	1
6	सहायक जिला न्यायवादी	1
7	लेखा परीक्षा अधिकारी	1
8	अधीक्षक	3

1.1 क्षेत्रीय व्यवस्था

सुचारु रूप से कार्य संचालन व राज्य की सभी सहकारी समितियों के कार्य कलाप पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण राज्य को 6 क्षेत्रीय संभागों में बांटा गया है। यह क्षेत्रीय संभाग हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, गुडगांव, हिसार तथा भिवानी। प्रत्येक संभाग में एक उप रजिस्ट्रार नियुक्त होता है जो अपने संभाग का नियंत्रण एवं संचालन करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सहकारी प्रबन्ध केन्द्र, रोहतक में प्रधानाचार्य का एक पद स्वीकृत है। इस पद पर उप रजिस्ट्रार पद के अधिकारी को प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

1.2 लेखा परीक्षा व्यवस्था

हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 की धारा 95/ संशोधित 2013 के अन्तर्गत राज्य की सभी सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा करवाना स्वयं सहकारी समितियों का वैधानिक दायित्व है। इस कार्य को कुशलता पूर्वक चलाने के लिये विभाग में अलग से एक आडिट अनुभाग है जो कि मुख्य लेखा परीक्षक के नियंत्रण में कार्य करता है। मुख्य लेखा

परीक्षक की सहायता के लिए मुख्यालय में, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक का एक व उप मुख्य लेखा परीक्षक के दो तथा लेखा परीक्षा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है। राज्य की सभी सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा करवाने संबंधी कार्य को सुचारु रूप से संचालन करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य को 8 संभागों अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, गुडगांव, रिवाड़ी, भिवानी तथा हिसार में बांटा गया है। प्रत्येक संभाग स्तर पर एक लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां नियुक्त होता है। सभी लेखा परीक्षा अधिकारी अपने अधीन कार्यरत ऑडिट स्टाफ का नियंत्रण करते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य की सहकारी चीनी मिलों के आडिट के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी के दो पद स्वीकृत हैं, जिनका मुख्यालय जींद एवं सोनीपत में है। राज्य में सहकारी समितियों व संस्थाओं के लेखा परीक्षण के लिए वरिष्ठ लेखा परीक्षक, निरीक्षक आडिट, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा उप निरीक्षक लेखा परीक्षक नियुक्त हैं।

1.3 विभाग के अमले का विवरण

विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत, पदों का विवरण, पद संज्ञा सहित अनुलग्नक में दिया गया है।

सहकारी आन्दोलन का अवलोकन

राज्य में संचालित सहकारी आन्दोलन के उपयोगी एवं प्रभावी माध्यम द्वारा निर्धनता, बेरोजगारी एवं आर्थिक पिछड़ेपन जैसी विकट समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशंसनीय योगदान किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित भिन्न-२ प्रकार के कार्यक्रमों व नीतियों से कृषक, श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार व समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोग निरन्तर लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की भिन्न-२ प्रकार की सहकारी संस्थाओं द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करके छोटे उद्योग धंधों को भी भिन्न-२ योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने के छोटे उद्योग धंधों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी आन्दोलन ने प्रदेश में पूर्व वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य की विकासात्मक गतिविधियों में योगदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2.1 राज्य की सभी प्रकार की सहकारिताओं (जिनमें शिखर, केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं तथा प्राथमिक सहकारी समितियों का ब्यौरा सम्मिलित है) की वित्तीय स्थिति में पूर्व वर्ष की तुलना में हुए उतार-चढ़ाव की स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दर्ज है।

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1.	सभी प्रकार की समितियों की संख्या	28683	28171
2.	सदस्यता (लाखों में)	53.09	53.11
3.	प्रदत्त अंश पूंजी (करोड़ों में)	1570.10	2200.81
4.	निजी निधियां (करोड़ों में)	3180.68	2875.33
5.	कार्यशील पूंजी (करोड़ों में)	28883.10	43775.74
6.	प्राथमिक कृषि एवं गैर कृषि समितियों, शहरी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों व आवास भवन समितियों द्वारा वर्ष के मध्य प्रदान किए गए ऋण (करोड़ों में)	11473.00	12685.52

2.2 समितियों का पंजीकरण एवं समापन

इस वर्ष विभिन्न प्रकार की कुल 328 सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है और कुल 889 परिसमापनाधीन समितियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। निष्क्रिय हो चुकी 1007 सहकारी समितियों को परिसमापनाधीन लाया गया है।

2.3 परिसमापनाधीन समितियां

वर्ष के अन्त में परिसमापनाधीन समितियों की संख्या का विवरण निम्न अनुसार है :-

(क) परिसमापनाधीन प्राथमिक समितियों की किस्मवार संख्या

क्र० सं०	समितियों की किस्म	2014-2015	2015-2016
1	श्रम एवं निर्माण समितियां	2444	3036
2..	आवास भवन समितियां	7355	6712
3.	सांझा कृषि समितियां	38	30
4.	प्राथमिक स्टोर	29	31
5.	परिवहन समितियां	1121	1140
6.	औद्योगिक समितियां	787	817
7.	अन्य प्रकार की समितियां	503	590
	कुल	12277	12356

(ख) परिसमापनाधीन केन्द्रीय संस्थाओं की किस्मवार संख्या

क्र० सं०	समितियों की किस्म	2014-2015	2015-2016
1.	विपणन एवं अभिसंस्करण	12	14
2.	चीनी मिल	2	2

क्र० सं०	समितियों की किस्म	2014-2015	2015-2016
3.	केन्द्रीय स्टोर	13	13
4.	जिला सहकारी संघ	1	1
	कुल	28	30

(ग) परिसमापनाधीन शिखर संस्थाओं की किस्मवार संख्या

क्र० सं०	समितियों की किस्म	2014-2015	2015-2016
1.	हैण्डलूम अपैक्स पानीपत	1	1
2.	इन्फैड	1	1

उपरोक्त परिसमापनाधीन समितियों में मुख्यतः परिवहन, श्रम एवं निर्माण, तथा औद्योगिक समितियां ऐसी हैं जिनका पंजीकरण रद्द करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.4 सभी प्रकार की सहकारी शिखर व केन्द्रीय संस्थाओं तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के लाभ व हानि का विवरण

(क) शिखर संस्थाएं

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015		2015-2016	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	लाभ में	6	4063.21	6	6435.11
2.	हानि में	1	4314.60	1	2570.78
3.	न लाभ न हानि में	1	—	1	—

(ख) केन्द्रीय संस्थाएं

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015		2015-2016	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	लाभ में	77	2895.87	71	3427.79
2.	हानि में	48	58637.12	51	39081.20
3.	न लाभ न हानि में	40	—	46	—

(ग) प्राथमिक समितियां

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015		2015-2016	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	लाभ में	5578	2966.28	5767	12461.46
2.	हानि में	8753	44172.88	13592	47308.77
3.	न लाभ न हानि में	14179	—	8636	—

(घ) कुल समितियां

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015		2015-2016	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	लाभ में	5661	9925.36	5844	22324.36
2.	हानि में	8802	107124.60	13644	88960.75
3.	न लाभ न हानि में	14220	—	8683	—

2.5 इस वर्ष एवं पूर्व वर्ष के अंत में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता, प्रदत्त-अंश पूंजी, निजी निधियों व कार्यशील पूंजी के तुलनात्मक आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) कार्यरत शिखर संस्थाओं से संबंधित सूचना

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	संख्या	8	8
2	सदस्यता (लाखों में)	0.1	0.1
3	प्रदत्त अंशपूजी	24028.03	29750.78
4	निजी निधियां	139737.90	122128.88
5	कार्यशील पूंजी	968397.84	1062060.90

(ख) कार्यरत केन्द्रीय संस्थाओं से संबंधित सूचना

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	संख्या	162	168
2	सदस्यता (लाखों में)	4.80	8.49
3	प्रदत्त अंश पूंजी	51634.75	107326.94
4	निजी निधियां	108113.48	86199.18
5	कार्यशील पूंजी	1441889.55	1535248.02

(ग) प्राथमिक समितियों से संबंधित सूचना :

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	संख्या	28510	27995
2	सदस्यता (लाखों में)	48.19	44.61
3	प्रदत्त अंशपूजी	81348.07	83003.79
4	निजी निधियां	70217.53	79205.17
5	कार्यशील पूंजी	478023.05	1780235.82

2.6 पंचाटों के निष्पादन से संबंधित सूचना

क्र० सं०	विवरण	2014-2015		2015-2016	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में निष्पादनाधीन व निष्पादन के लिए लम्बित पंचाट	5085	1100.27	4991	1033.39
2	वर्ष में निष्पादन हेतु दायर किए गए पंचाट	30	46.63	05	4.76
3	वर्ष के मध्य निष्पादनाधीन पंचाटों की हुई वसूली	124	113.51	14	0.12
4	वर्ष के अंत में निष्पादनाधीन व निष्पादन के लिए लम्बित पंचाट	4991	1033.39	4982	1038.03

2.7 समितियों की प्रबंधक कमेटियों के चुनाव से संबंधित सूचना (वर्ष 2015-16)

(1) वर्ष के प्रारम्भ में जितनी समितियों की प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराने शेष थे	313
(2) वर्ष के मध्य जितनी नई समितियां प्रबंधक कमेटी चुनाव कराने के योग्य हुई	578
(3) वर्ष के मध्य जितनी समितियों की प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराए गए	488
(4) वर्ष के अंत पर जितनी समितियों की प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराये जाने शेष थे।	403

2.8 परिसमापनाधीन समितियों से संबंधित सूचना

विवरण	2014-2015	2015-2016
(1) वर्ष के प्रारम्भ में परिसमापनाधीन समितियां	12088	12307
(2) वर्ष के मध्य परिसमापनाधीन लाई गई समितियां	1228	1007
(3) वर्ष के मध्य पुनर्जीवित की गई समितियां	23	37
(4) वर्ष के मध्य पूर्णतः समाप्त की गई समितियां	986	889
(5) वर्ष के अन्त में परिसमापनाधीन समितियां	12307	12388

2.9 गबन के प्रकरणों से संबंधित सूचना

(राशि लाखों में)

विवरण	2014-2015		2015-2016	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1) वर्ष के प्रारम्भ में वैधानिक कार्यवाही के अंतर्गत व वैधानिक कार्यवाही के लिए लंबित गबन के प्रकरण	654	2040.84	656	2101.89
(2) वर्ष के मध्य पकड़ में आए गबन के प्रकरण	5	123.34	5	42.18

(3) वर्ष के मध्य गबन प्रकरणों की वसूल हुई राशि	3	62.29	7	37.28
(4) वर्ष के अंत में वैधानिक कार्यवाही के अंतर्गत व वैधानिक कार्यवाही के लिए लंबित गबन के प्रकरण	656	2101.89	654	2106.79

फील्ड में कार्यरत विभागीय कर्मचारी जैसे उपनिरीक्षक, निरीक्षक तथा विभाग की ओर से सहकारी समितियों के ऑडिट के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा राज्य की सहकारी समितियों के समय-समय पर किए जाने वाले निरीक्षण तथा ऑडिट के समय सहकारी समितियों में धन के गबन व दुरुपयोग आदि के जो मामले पकड़ में आते हैं, उनमें विभाग द्वारा दो प्रकार की कार्यवाही की जाती है, जिसमें गबन कर्ताओं को दण्ड दिलवाने हेतु उनके विरुद्ध पुलिस विभाग में प्रकरण दर्ज कराया जाता है तथा गबन अथवा दुरुपयोग की राशि की वसूली हेतु हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 101, 102, 103 व 104 तथा 110 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सम्मिलित है। गबन व दुरुपयोग कर्ताओं के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी के संबंध में विभाग के कर्मचारी हर प्रकार का सहयोग करते हैं।

2.10 ऋण व्यवस्था :

राज्य के सहकारी ढांचे में राज्य के आवश्यकतावान लोगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य की निम्न सहकारी संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। यह संस्थाएं आवश्यकतावान लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन व मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कुल तीन प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं।

- 1 राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंक।
- 2 राज्य के प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
- 3 राज्य के सहकारी अर्बन बैंक।
- 4 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
- 5 राज्य की प्राथमिक सहकारी आवास समितियां।
- 6 राज्य की अकृषि बचत एवं उधार समितियां।

वर्ष के मध्य इन सभी संस्थाओं द्वारा आवश्यकतावान लोगों को कुल 1268552.26 लाख रुपये ऋण प्रदान किया गया है। सहकारी ढांचे के माध्यम से राज्य के लोगों को जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, उनसे राज्य के कृषि विकास में व राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आर्थिक दशा सुदृढ़ करने में तथा बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है।

2.11 हरियाणा राज्य सहकारी शिखर बैंक लि०:

राज्य स्तर पर स्थापित हरियाणा राज्य सहकारी शिखर बैंक राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। शिखर बैंक द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए व्यवसाय तथा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के अंत में बैंक की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

“हरियाणा राज्य सहकारी शिखर बैंक लि०”

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सदस्यता	19	19
2	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क) राजकीय अंश पूंजी	932.40	1302.02
	ख) समितियों व अन्य की अंश पूंजी	12328.32	12497.00
	कुल अंश पूंजी (क+ख)	13260.72	13799.00
3	आरक्षित व अन्य निधियां	41760.77	59474.00
4	वर्ष के अंत में देय ऋण (ऋण की देयता)	442503.90	402527.00
5	सभी प्रकार की धरोहर की राशि	217955.20	310491.00
6	कार्यशील पूंजी	724500.05	802950.00
7	वर्ष के मध्य दिया गया ऋण	674860.00	760807.00
8	वर्ष के अंत में ऋणियों की ओर शेष ऋण	590408.03	631860.00

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
9	वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	280.00	281.11
10	कुल बकाया ऋण की तुलना में अतिदेय ऋण का प्रतिशत	0.05%	0.04%
11	वर्ष के मध्य अर्जित किया गया लाभ	1622.59	2380.00

2.12 केन्द्रीय सहकारी बैंक :

राज्य में प्रत्येक जिला स्तर पर एक केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित है। राज्य में कुल 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित मिनी बैंक के नाम से पुकारे जाने वाली सहकारी उधार एवं सेवा समितियों के माध्यम से जहाँ उनके अकृषक सदस्यों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं, वहीं किसानों को उनकी कृषि संबंधी हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने तथा किसानों की आर्थिक समृद्धता बढ़ाने में प्रसंशनीय योगदान करते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक अन्य प्रकार की उन सहकारी समितियों को भी ऋण सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो कि अपने व्यवसाय के माध्यम से अपने सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं अथवा अपने सदस्यों की निजी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ये बैंक भिन्न-2 प्रकार के लघु स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने हेतु तथा भिन्न-2 प्रकार के व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान करके राज्य की बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन में बड़ा योगदान कर रहे हैं। इन बैंकों द्वारा पूर्वोक्त अनुसार आवश्यकतावान लोगों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है उसका बहुत बड़ा भाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को प्राप्त हो रहा है। इन बैंकों द्वारा इस वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय तथा वर्ष के अन्त में बैंकों की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली सूचनाएं निम्नलिखित हैं।

“केन्द्रीय सहकारी बैंक”

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	संख्या	19	19
2	सदस्यता	10179	9751

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क) राजकीय अंश पूंजी	8165.00	13642.91
	ख) समितियों व अन्य की अंश पूंजी	42376.00	49163.80
	कुल अंश पूंजी (क+ख)	50541.00	62806.71
4	आरक्षित व अन्य निधियां	104052.00	70956.72
5	वर्ष के अंत में देय ऋण (ऋण की देयता)	568264.00	586908.94
6	सभी प्रकार की धरोहर की राशि	596584.00	689802.38
7	कार्यशील पूंजी	1432410.00	1480209.00
8	वर्ष के मध्य दिया गया ऋण	1116553.00	1236387.61
9	वर्ष के अंत में ऋणियों की ओर शेष ऋण	996941.00	1059793.52
10	वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	344508.00	384383.00
11	कुल बकाया ऋण की तुलना में अतिदेय ऋण का प्रतिशत	34.55	36.27
12	वर्ष के मध्य लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या	11	15
13	वर्ष के मध्य अर्जित किया गया लाभ	1302.00	2726.37
14	वर्ष के दौरान हानि में रहने वाले बैंकों की संख्या	8	4

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
15	वर्ष के दौरान हानि	3501.00	1544.67
16	वर्ष के मध्य लाभ हानि से रहित बैंक	0	0
17	बैंकों की शाखाओं की संख्या	596	610

2.13 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राज्य के कृषकों को फसली ऋण व कृषि कार्य से संबंधित अन्य प्रकार के ऋण तथा रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीट एवं खरपतवारनाशक दवाईयां उपलब्ध करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। राज्य में हरित क्रांति लाने व कृषि उपज की वृद्धि करने में इन समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सामान्य वर्ग व अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लगभग सभी परिवार इन समितियों की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा इन समितियों से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण सुविधा प्राप्त कर के लाभान्वित हो रहे हैं। इन समितियों की पूर्व वर्ष व इस वर्ष की व्यवसायिक तथा आर्थिक स्थिति दर्शाने वाले तुलनात्मक आंकड़ों का विवरण निम्नवत है:

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	संख्या	663	711
2	सदस्यता (लाखों में)	31.26	31.25
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क) राजकीय अंश पूंजी	6320.02	5634.53
	ख) व्यक्ति सदस्यों की अंश पूंजी	55187.53	56551.00
	कुल अंश पूंजी (क+ख)	61507.55	62185.53

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
4	आरक्षित व अन्य निधियां	24834.00	25243.04
5	सभी प्रकार की धरोहर की राशि	49718.05	50599.00
6	कार्यशील पूंजी	11226.40	1214036.65
7	वर्ष के मध्य सदस्यों को प्रदान किया गया ऋण	807592.45	889056.71
8	वर्ष के अंत में ऋणियों की ओर शेष ऋण	949771.16	1117618.23
9	वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	299908.13	285579.73
10	वर्ष के मध्य खाद तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गए व्यवसाय से संबंधित सूचना : उपभोक्ता वस्तुओं का व्यवसाय		
	क) खाद का व्यापार करने वाली समितियों की संख्या	663	711
	ख) वर्ष के मध्य बिक्री किए गए खाद का मूल्य	57999.17	78002.52
11	गोदामों सहित कार्यालय भवनों की संख्या	2123	
	क) निजी	1604	1604
	ख) किराए पर लिए गए	519	527

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
12	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	46	99
13	वर्ष में अर्जित किया गया लाभ	491.56	1230.72
14	वर्ष में हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	617	612
15	वर्ष में हुई हानि	41254.99	35582.91
16	वर्ष में लाभ हानि से रहित समितियां	—	-

2.14 सहकारी गैर-कृषि बचत एवं उधार समितियां व शहरी बैंक

सहकारी गैरकृषि बचत एवं उधार समितियां सामान्यतः कस्बों व शहरों में कार्यरत हैं। यह समितियां अपने सदस्यों को उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण वितरित करती हैं। यह मुख्यतः घर में उपयोग होने वाला सामान जैसे टेलीविजन, वाशिंग मशीन, फ्रिज आदि सामान क्रय करने व भिन्न-2 प्रकार के व्यवसायिक कार्यों के लिए ऋण देती हैं। इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न शहरों में 9 सहकारी अर्बन बैंक कार्यरत हैं। ये बैंक भी अपने सदस्यों को घरेलू सामान जैसे टेलीविजन, वाशिंग मशीन, फ्रिज आदि सामान क्रय करने के लिए ऋण देते हैं। उक्त समितियों व अर्बन बैंकों के इस वर्ष के व्यवसाय संबंधी सांझा सूचना व वर्ष के अंत में इनकी आर्थिक स्थिति दर्शाने वाले पूर्व वर्ष व इस वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत हैं :

सहकारी गैर कृषि बचत एवं उधार समितियां व शहरी बैंक

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	अर्बन बैंकों सहित समितियों की संख्या	976	922
2	अर्बन बैंकों सहित समितियों की सदस्यता (लाखों में)	0.99	0.99

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
3	प्रदत्त अंश पूंजी	4890.16	4518.13
4	आरक्षित व अन्य निधियां	12734.24	16296.30
5	कार्यशील पूंजी	99595.93	113190.37
6	वर्ष के मध्य दिया गया ऋण	17595.82	15247.51
7	वर्ष के अंत में ऋणियों की ओर शेष ऋण	44828.31	54693.43
8	वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	6905.65	7812.23
9	कुल बकाया ऋण की तुलना में अतिदेय ऋण का प्रतिशत	15.40	14.28
10	वर्ष के मध्य लाभ अर्जित करने वाले बैंकों सहित समितियों की संख्या	155	175
11	वर्ष के मध्य अर्जित किया गया लाभ	1050.95	8472.74
12	वर्ष के मध्य हानि अर्जित करने वाले बैंकों सहित समितियों की संख्या	386	401
13	वर्ष के दौरान हुई हानि	185.71	223.47
14	वर्ष में लाभ-हानि से रहित बैंकों सहित समितियां	435	346

2.15 दीर्घ कालीन ऋण व्यवस्था :

कृषि क्षेत्र में दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करने में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की मुख्य भूमिका है लेकिन गैरकृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों व अर्बन सहकारी बैंकों का भी बहुत बड़ा योगदान है।

2.16 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

राज्य स्तर पर स्थापित हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राज्य के सभी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए एक मात्र वित्त दाता संस्था है जिससे सभी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण प्राप्त करते हैं। राज्य के सभी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य संचालन पर हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पूर्ण नियंत्रण रखता है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सदस्य संख्या	19	19
2	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क सरकार की	1495.00	1755.00
	ख अन्य की	3044.36	3044.36
	ग कुल (क+ख)	4539.36	4799.36
3	निजी निधियां	48099.38	48373.49
4	कार्यशील पूंजी	220294.59	224662.81
5	वर्ष में प्रदान किया ऋण	12949.20	17100.89
6	वर्ष के अंत में शेष ऋण	207932.24	207274.75
7	वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	82385.67	92900.96
8	बकाया ऋण की तुलना में अतिदेय ऋण की प्रतिशतता	39.62	28.89
9	वर्ष के दौरान अर्जित लाभ-हानि	(-)4314.60	(-) 2570.78

2.17 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

मुख्यतः कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए ये बैंक ब्लाक स्तर पर कार्यरत थे लेकिन अब प्रत्येक जिले के ब्लाक स्तरीय बैंकों का परस्पर समामेलन करके जिला स्तर पर एक "जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" बना दिया गया है। ब्लाक स्तर पर जो बैंक कार्यरत थे उन्हें अब जिला स्तरीय बैंकों की शाखाएँ बना दिया गया है। ये बैंक ट्रैक्टर एवं कृषि संबंधित अन्य मशीनरी, नलकूप, डीजल ईजन, पम्पिंग सैट लगाने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, पुराने ऋण चुकाने के लिए तथा बागवानी आदि के लिए आवश्यकतावान लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंक जहाँ कृषि विकास के लिए कृषकों को कई प्रकार के ऋण देते हैं, वहीं ये बैंक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के दस्तकारों व उद्योग धंधे स्थापित करने वालों तथा स्वरोजगार के रूप में अन्य भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ अपनाने वालों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। इन बैंकों द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय तथा वर्ष के अंत में इन बैंकों की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है:-

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	बैंकों की संख्या	19	19
2	बैंकों की सदस्यता (लाखों में)	7.41	7.73
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क. सरकार की	3085.00	3135.32
	ख. अन्य की	7855.00	7623.22
	कुल (क+ख)	10940.00	10758.54
4	निजी निधियाँ	11905.00	11771.37
5	कार्यशील पूंजी	300748.00	300582.85

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
6	वर्ष के मध्य दिया गया ऋण		
	क. ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनरी के लिए	132.35	6747.04
	ख. नलकूप, डीजल ईजन, पम्पिंग सैट खरीदने के लिए	187.70	667.60
	ग. अन्य	12761.49	9427.13
	घ. कुल (क+ख+ग)	13081.54	16841.77
7	वर्ष के अंत में शेष ऋण	1688.68	160425.89
8	वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	1192.75	—
10	कुल बकाया ऋण की तुलना में अतिदेय ऋण की प्रतिशतता	70.63%	—
12	वर्ष के मध्य लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या	0	1
13	अर्जित की गई लाभ की राशि	0	100.13
14	वर्ष के दौरान हानि में रहने वाले बैंकों की संख्या	0	18
15	हानि की राशि	143.25	10069.56

2.18 हरियाणा राज्य सहकारी विपणन एवं वितरण प्रसंग लि० (हैफेड) :

हैफेड के नाम से जानी जाने वाली यह संस्था अपने से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों तथा अपने फोकल प्वाइंट्स के माध्यम से जहाँ कृषकों को रासायनिक खाद व प्रमाणित उन्नत बीज तथा खरपतवार एवं कीटनाशक दवाईयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रही हैं, वहीं कृषि पैदावार को क्रय करके किसानों को कृषि पैदावार का

लाभकारी मूल्य दिलाना भी सुनिश्चित करती है। अपने द्वारा किसानों के हितार्थ की गई भिन्न-भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का सुचारु रूप से संचालन व बेहतर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस संस्था ने प्रत्येक जिला स्तर पर अपने कार्यालय खोले हुए हैं। प्रत्येक जिला स्तरीय कार्यालय का इंचार्ज जिला प्रबंधक हैफेड होता है। इस संस्था द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष में किए गए व्यवसाय से संबंधित विशेष जानकारियां तथा वर्ष के अंत में इस संस्था की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

हरियाणा राज्य सहकारी विपणन एवं वितरण प्रसंग लि० (हैफेड)

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सदस्य संख्या	63	63
2	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क. राजकीय अंश पूंजी	18.75	18.75
	ख. समितियों तथा अन्य की अंश पूंजी	1803.33	161.53
	ग. कुल जोड़ (क+ख)	1822.08	180.28
3	निजी निधियां	84511.44	—
4	कार्यशील पूंजी	10022.43	—
5	वर्ष में बेचे गए खाद का मूल्य	36648.49	46990.62
6	क्रय की गई कृषि उपज का मूल्य	469923.00	465876.00
7	अभिसंस्कृत की गई कृषि उपज की मात्रा (मि. टन)	33.00	44.00

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
8	वर्ष में अर्जित किए गए लाभ की राशि	4895.18	3806.72
	कृषि इन्पुट्स का व्यवसाय		
	अ. रासायनिक खाद मूल्य	—	—
	आ. खरपतवार एवं कीटनाशक दवाईयां	3342.00	5363.00
	इ. अभिसंस्करण व्यवसाय	उत्पादन/ अभिसंस्करण (मात्रा मि. टन में)	बिक्री मूल्य (लाख) अर्जित लाभ/ हानि (लाख)
	1 कैटल फीड प्लांट रोहतक	21963	3448
	2 ऑयल मिल रेवाड़ी	1334	2603
	3 एनीमल फीड प्लांट सक्ता खेड़ा	3476	659
	4 ऑयल मिल नारनौल	1314	2678

2.19 प्राथमिक सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियां (मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग सोसायटीज)

ये संस्थाएं जहां कृषकों को रासायनिक खाद व प्रमाणित उन्नत बीज तथा खरपतवार एवं कीटनाशक दवाईयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रही हैं, वहीं कृषि उत्पादों को क्रय करके किसानों को लाभकारी मूल्य भी दिलवा रही हैं। इन संस्थाओं द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए विशेष कार्य-कलापों तथा वर्ष के अंत में इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

प्राथमिक सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियां

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	87	89
2	समितियों की सदस्यता (लाखों में)	1.29	1.31
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क राजकीय अंश पूंजी	533.53	2021.49
	ख समितियों तथा अन्य की अंश पूंजी	320.11	575.29
	कुल जोड़ (क+ख)	853.64	2596.78
4	निजी निधियां	3928.90	4526.50
5	कार्यशील पूंजी	8019.65	22929.90
6	क्रय की गई कृषि उपज का मूल्य	305148.10	278365.80
7	बिक्री किए गए खाद व बीज का मूल्य	87961.62	53928.61
8	गोदामों की संख्या		
	क. निजी	—	—
	ख. किराए पर	—	—
9	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	54	52
10	वर्ष में अर्जित की गई लाभ की राशि	583.29	685.50
11	वर्ष में हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	28	31
12	वर्ष में हुई हानि की राशि	51.02	104.20
13	वर्ष में लाभ-हानि से रहित समितियां	05	06

2.20 सहकारी चीनी मिलें

वर्ष के दौरान राज्य में कुल 10 सहकारी चीनी मिलें संचालित रही हैं। संचालित रही मिलें रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, जींद, शाहबाद, पलवल, कैथल, महम व गोहाना में स्थापित हैं। राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा वर्ष के मध्य गन्ना उत्पादकों को प्रदान किया गया गन्ने का मूल्य तथा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए व्यवसाय से संबंधित विशेष सूचना निम्नवत है

सहकारी चीनी मिल

गन्ने का प्रदान किया गया मूल्य	न्यूनतम मूल्य	अधिकतम मूल्य
वर्ष 2014-15 में प्रति क्विंटल	300.00	310.00
वर्ष 2015-16 में प्रति क्विंटल	300.00	310.00

चीनी मिलों के व्यवसाय तथा आर्थिक स्थिति से संबंधित सूचना

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	संचालित चीनी मिलों की संख्या	10	10
2	संचालित चीनी मिलों की सदस्यता (लाखों में)	—	4.26
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क राजकीय अंश पूंजी	—	41689.67
	ख अन्य की अंश पूंजी	—	10004.48
	कुल जोड़ (क+ख)	—	41694.15
4	निजी निधियां	—	10622.22
5	कार्यशील पूंजी	—	31227.84

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
6	वर्ष में पिराई किए गए गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल में)	320.02	294.76
7	वर्ष में बनाई गई चीनी की मात्रा (लाख क्विंटल में)	30.09	29.44
8	वर्ष के मध्य गन्ने से चीनी की प्राप्ति की प्रतिशतता		
	क. रोहतक चीनी मिल में	8.50	9.15
	ख. सोनीपत चीनी मिल में	9.02	9.80
	ग. करनाल चीनी मिल में	10.04	10.87
	घ. पानीपत चीनी मिल में	9.60	10.50
	ड. शाहबाद चीनी मिल में	10.38	11.03
	च. जींद चीनी मिल में	9.17	9.53
	छ. पलवल चीनी मिल में	8.93	9.60
	ज. महम चीनी मिल में	8.71	9.06
	झ. कैथल चीनी मिल में	9.32	10.08
	ट. गोहाना चीनी मिल में	9.17	9.68
9	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली चीनी मिलों की संख्या	—	-
10	वर्ष में अर्जित की गई लाभ की राशि	—	-

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
11	वर्ष में हानि में रहने वाली चीनी मिलों की संख्या	10	10
12	वर्ष में हुई हानि की राशि	55077.00	37385.56
13	वर्ष के मध्य लाभ-हानि से रहित चीनी मिलें	—	-

2.21 उपभोक्ता सहकारिताएं

जनमानस के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का उचित मूल्य पर जनमानस को उपलब्ध कराना उपभोक्ता सहकारिताओं का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में उपभोक्ता सहकारिताओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित है। राज्य स्तर पर हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर फ़ेडरेशन (कॉनफ़ेड) स्थापित है और उपमण्डल स्तर पर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार तथा कस्बों के स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित हैं।

2.22 केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	भण्डारों की संख्या	20	21
2	भण्डारों की सदस्यता (लाखों में)	2.81	2.83
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क राजकीय अंश पूंजी	178.89	216.44
	ख अन्य की अंश पूंजी	61.22	12.86
	ग कुल जोड़ (क+ख)	240.11	229.30
4	निजी निधियां	132.58	93.74
5	कार्यशील पूंजी	1459.90	881.28

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
6	उपभोक्ता वस्तुओं की वर्ष के मध्य की गई बिक्री		
	क. नियंत्रित दर पर	2735.83	2913.40
	ख. अनियंत्रित दर पर	200.72	248.21
7	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाले स्टोर	6	4
8	वर्ष में अर्जित लाभ की राशि	25.51	15.92
9	वर्ष में हानि में रहने वाले स्टोर	2	6
10	वर्ष में हानि की राशि	8.10	46.77
11	वर्ष में लाभ-हानि से रहित स्टोर	12	11

2.23 श्रम एवं निर्माण सहकारिताएं :

कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के किए जाने वाले शोषण से श्रमिकों को मुक्त कराना श्रम एवं निर्माण सहकारिताओं का मुख्य उद्देश्य है। श्रम एवं निर्माण सहकारिताओं की सदस्यता ग्रहण करके कार्य करने वाले श्रमिक समिति को होने वाले सम्पूर्ण लाभ में भागीदार हो जाते हैं। इस प्रकार किसी भी निर्माण कार्य निष्पादन से समिति द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्पूर्ण आय का बंटवारा समिति सदस्य होने के नाते श्रमिकों में हो जाता है और ठेकेदार के अधीन श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य से होने वाले जिस सम्पूर्ण लाभ का मालिक ठेकेदार स्वयं बन जाता है, वह सम्पूर्ण लाभ श्रम एवं निर्माण सहकारिताओं के माध्यम से श्रमिकों में वितरित हो जाता है।

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंग लि०:

राज्य स्तर पर स्थापित यह शीर्ष संस्था जिला स्तरीय सहकारी श्रम एवं निर्माण संघों के माध्यम से प्राथमिक श्रम एवं निर्माण समितियों के निरंतर सम्पर्क में रहती है और श्रम एवं निर्माण समितियों को सुचारु रूप से कार्य संचालन में समय-2 पर उत्पन्न होने वाली शासकीय व अशासकीय कठिनाईयों का निराकरण करना तथा श्रम एवं निर्माण सहकारिताओं को प्राथमिकता के आधार पर राजकीय निर्माण कार्यों का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए समय-2 पर यथावश्यक उपाय करना, उक्त शीर्ष संस्था का मुख्य उद्देश्य है।

इस संस्था द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए विशेष कार्य-कलापों तथा वर्ष के अंत में इस संस्था की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंग लि०:

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सदस्यता	20	20
2	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क. राजकीय अंश पूंजी	335.88	374.65
	ख. अन्य की अंश पूंजी	0.86	0.86
	ग. कुल जोड़ (क+ख)	336.74	375.51
3	निजी निधियां	1878.99	2223.86
4	कार्यशील पूंजी	2447.14	2157.61
5	वर्ष के मध्य अर्जित किया गया कमीशन	167.99	186.50
6	वर्ष के मध्य अर्जित किया गया लाभ	60.21	74.62

2.25 प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां :

यह समितियां कुशल व अकुशल कामगारों को उचित दर पर रोजगार मुहैया कराती हैं और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी बड़ी भूमिका अदा करती हैं। "प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां"

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	7737	7665
2	समितियों की सदस्यता (लाखों में)	0.93	0.90
3	प्रदत्त अंश पूंजी	1051.70	1404.51

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
4	निजी निधियां	1868.09	2395.55
5	कार्यशील पूंजी	11459.27	14392.39
6	वर्ष में निष्पादित किए गए कार्यों का मूल्य	18687.80	18403.20
7	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	1019	1066
8	वर्ष में अर्जित लाभ की राशि	299.64	1663.53
9	वर्ष में हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	3832	5149
10	वर्ष में हुई हानि की राशि	200.13	684.17
11	वर्ष में लाभ-हानि से रहित समितियां	2886	1450

2.26 दुग्ध सहकारिताओं से संबंधित सूचना :

- दूध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना तथा ग्रामीणों को विशेष रूप से किसानों को दूध व्यवसाय को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना और डेयरी स्थापना के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना दुग्ध सहकारिताओं का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में दुग्ध सहकारिताओं की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित है जिसमें राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी डेयरी विकास प्रसंग स्थापित है और जिला स्तर पर जिला सहकारी दुग्ध संघ स्थापित हैं तथा ग्रामों व कस्बों के स्तर पर प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित हैं। समूचे राज्य में कार्यरत दुग्ध सहकारिताओं को, "राज्य सहकारी डेयरी विकास प्रसंग" द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य में बीते वर्षों में उल्लेखनीय दुग्ध वृद्धि के रूप में जो श्वेत क्रांति आई है, उसका अधिकांश श्रेय उक्त राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था के प्रशंसनीय नियंत्रण को ही जाता है। राज्य में 6 मिल्क प्लांट जीद, अम्बाला, रोहतक, बल्लभगढ़, करनाल, तथा सिरसा में स्थापित हैं। इस संस्था द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार जैसे फीड आदि और पशुओं की बीमारी के निवारण में उपयोग आने वाली बेहतर

गुणवत्ता वाली दवाईयां न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। दुग्ध सहकारिताओं द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए व्यवसाय से संबंधित विशेष सूचना निम्नवत है:

हरियाणा राज्य सहकारी डेयरी विकास प्रसंग लि०

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सदस्यता	06	06
2	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क. राजकीय अंश पूंजी	2730.34	2627.84
	ख. अन्य की अंश पूंजी	849.58	849.58
	ग. कुल जोड़ (क+ख)	3579.92	3477.22
3	निजी निधियां	5913.92	4837.48
4	कार्यशील पूंजी	4618.61	4631.08
5	वर्ष के मध्य अर्जित लाभ की राशि	335.73	115.06

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां :

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	6090	6080
2	समितियों की सदस्यता (लाखों में)	3.21	3.25

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
3	प्रदत्त अंश पूंजी		
	क राजकीय अंश पूंजी	17.99	13.25
	ख अन्य की अंश पूंजी	71.80	75.43
	ग कुल जोड़ (क+ख)	89.79	89.68
4	निजी निधियां	2499.66	2772.58
5	कार्यशील पूंजी	1537.45	1686.91
6	वर्ष में बिक्री किए गए दूध की मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	1591.24	1619.89
7	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	3090	3212
8	वर्ष में अर्जित लाभ की राशि	485.12	397.25
9	वर्ष में हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	174	129
10	वर्ष में हुई हानि की राशि	7.89	6.07
11.	वर्ष में लाभ-हानि से रहित समितियां	2826	2739

2.27 आवास सहकारिताएं :

राज्य में आवास सहकारिताओं की द्विस्तरीय प्रणाली स्थापित है। राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंग लि० स्थापित है तथा शहरों व कस्बों के स्तर पर प्राथमिक सहकारी आवास भवन समितियां व सहकारी ग्रुप आवास भवन समितियां स्थापित हैं, जहाँ प्राथमिक सहकारी आवास भवन समितियां अपने सदस्यों को आवास भवन निर्माण करने हेतु ऋण प्रदान करती हैं, वहीं सहकारी ग्रुप आवास भवन समितियां अपने सदस्यों को स्वयं

आवास भवन बनाकर देती हैं और आवास भवनों पर होने वाला व्यय इन समितियों के सदस्य स्वयं वहन करते हैं। आवास भवन सहकारिताओं द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए विशेष कार्य-कलापों तथा वर्ष के अंत में इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंग लि० :

इस शीर्ष संस्था का मुख्य उद्देश्य इससे संबंधित प्राथमिक सहकारी आवास भवन समितियों के सदस्यों को आवास भवन निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। आवास भवन निर्माण हेतु जो ऋण प्रदान किया जाता है उसकी अदायगी की अवधि 15 से 20 वर्ष तक की होती है और ऋण की अदायगी समान मात्रा वाली राशि की त्रैमासिक किस्तों में करनी होती है।

हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंग लि०

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सदस्यता	355	362
2	कुल प्रदत्त अंश पूंजी		
	क राजकीय अंश पूंजी	1495.90	6584.17
	ख अन्य की अंश पूंजी	321.35	324.90
	ग कुल जोड़ (क+ख)	1817.25	6909.07
3	निजी निधियां	35.29	6965.11
4	कार्यशील पूंजी	7168.97	27390.64
5	वर्ष के अन्त पर ऋण की देनदारी	3696.71	6665.11
6	वर्ष में प्रदान किए गए ऋण की राशि	640.33	180.28

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
7	वर्ष में वसूली योग्य ऋण की राशि	3110.20	5238.68
8	वर्ष में वसूल की गई ऋण की राशि	320.28	963.43
9	वर्ष के मध्य अर्जित (+लाभ) अथवा (-हानि) की राशि	+10.20	24.38
10	स्थापना से लेकर वर्ष के अंत तक निर्मित आवास भवनों की संख्या	21527	21547

प्राथमिक सहकारी आवास भवन समितियां :

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	595	594
2	समितियों की सदस्यता (लाखों में)	1.14	1.16
3	प्रदत्त अंश पूंजी	693.74	732.06
4	निजी निधियां	4748.62	5100.70
5	कार्यशील पूंजी	23626.04	44172.22
6	वर्ष में प्रदान किया गया ऋण	70.06	75.37
7	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	124	108
8	वर्ष में अर्जित की गई लाभ की राशि	97.80	139.70

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
9	वर्ष में हानि में रहने समितियों की संख्या	335	345
10	वर्ष में हुई हानि की राशि	126.08	174.68
11	वर्ष में लाभ-हानि से रहित समितियों की संख्या	136	141

2.29 परिवहन सहकारिताएं :

राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने व इसके साथ-2 जनमानस को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के विशेष उद्देश्य से प्राथमिक सहकारी परिवहन समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक सहकारी परिवहन समिति के माध्यम से समिति के पंजीकृत सदस्यों, जो कि शिक्षित बेरोजगार होते हैं व जिनकी संख्या कम से कम पांच होती है को रोजगार मिलता है व इसके साथ-साथ ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में दो अन्य बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर कम से कम सात बेरोजगारों को प्रत्येक संचालित समिति के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो जाता है। संचालित परिवहन समितियों द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए व्यवसाय से संबंधित कुछ विशेष सूचनाएं निम्नवत हैं:

2.30 प्राथमिक सहकारी परिवहन समितियां

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1.	परिवहन समितियों की कुल संख्या	2154	2147
2.	जितनी बसें मार्गों पर चल रही हैं	757	747
3.	समितियों की सदस्यता	0.10	0.10
4.	प्रदत्त अंश पूंजी	980.72	923.97
5.	निजी निधियां	3640.57	3599.19

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
6.	कार्यशील पूंजी	8320.87	9943.12
7.	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	628	560
8.	वर्ष में अर्जित किए गए लाभ की राशि	260.49	175.88
9.	वर्ष में हानि में रहने समितियों की संख्या	1070	681
10.	वर्ष में हुई हानि की राशि	183.12	177.79

3.1 औद्योगिक सहकारिताओं से संबंधित सूचना :

राज्य में निम्नलिखित कुल चार प्रकार की प्राथमिक सहकारी औद्योगिक समितियां स्थापित हैं :

- 1 सहकारी खादी ग्रामोद्योग समितियां
- 2 सहकारी लघु औद्योगिक समितियां
- 3 सहकारी हथकरघा बुनकर औद्योगिक समितियां
- 4 सहकारी हस्तशिल्प औद्योगिक समितियां

इन चारों प्रकार की सहकारी औद्योगिक समितियों के माध्यम से भिन्न-2 प्रकार की कलाओं में कुशल अनेकों कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। भिन्न-2 प्रकार की सहकारी औद्योगिक समितियों की सदस्यता ग्रहण करके इन समितियों का गठन करने से इनके सदस्यों को जो विशेष लाभ होता है, वह यह कि उनके परिश्रम के प्रतिफल जो कपड़ा आदि सामान तैयार होता है, उसकी बिक्री से सहकारी औद्योगिक समितियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले सम्पूर्ण लाभ को ग्रहण करने के भी वह खुद ही अधिकारी बन जाते हैं। समितियों के सदस्य समितियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ का दो प्रकार से उपयोग करते हैं या तो वह अपनी समिति के व्यवसाय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाभ की राशि को समिति में ही निवेश किए रहते हैं जिससे, जहाँ समिति के व्यवसाय में वृद्धि होती रहती है वहीं समिति की आर्थिक दशा भी सुदृढ़ होती रहती है अथवा समितियों द्वारा अर्जित की गई लाभ की राशि को सभी सदस्य नियमों और स्वयं की पात्रता के आधार पर परस्पर विभक्त कर लेते हैं जिससे सदस्यों की आर्थिक दशा में सुधार होता रहता है। इन समितियों के कार्य को सुचारु रूप से संचालित होने को सुनिश्चित करने व इन समितियों को भिन्न-2 स्थानों से इनके व्यवसायों के अनुरूप कार्य दिलवाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर इन समितियों के दो प्रसंग क्रमशः हरियाणा राज्य सहकारी औद्योगिक प्रसंग लि० चण्डीगढ़ तथा हरियाणा राज्य सहकारी हथकरघा बुनकर शीर्षस्थ समिति लि० पानीपत में स्थापित हैं परन्तु अब यह दोनों प्रसंग परिसमापनाधीन चल रहे हैं। औद्योगिक सहकारिताओं द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए व्यवसाय से संबंधित विशेष सूचनाएं निम्नवत हैं:

सभी चार प्रकार की प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों से संबंधित मिश्रित सूचना :

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	सभी प्रकार की समितियों की संख्या	1333	1326
2	सभी प्रकार की समितियों की सदस्यता (लाखों में)	0.16	0.16
3	प्रदत्त अंश पूंजी	386.94	509.75
4	निजी निधियां	421.16	383.12
5	कार्यशील पूंजी	4143.48	4222.53
6	वर्ष में किया गया उत्पादन (मूल्य)	3577.03	3980.87
7	वर्ष में की गई बिक्री (मूल्य)	3741.61	4440.70
8	लाभ वाली समितियों की संख्या	161	160
9	वर्ष में अर्जित किए गए लाभ की राशि	46.98	36.96
10	हानि वाली समितियों की संख्या	842	796
11	हानि की राशि	19.40	80.61

3.2 हथकरघा सहकारी समितियां :

हथकरघा समितियों द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए विशेष कार्य-कलापों तथा वर्ष के अंत में इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	329	326
2	समितियों की सदस्यता	3067	0.02
3	प्रदत्त अंश पूंजी	53.67	144.13

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
4	निजी निधियां	17.41	20.18
5	कार्यशील पूंजी	1860.26	2540.40
6	वर्ष में किया गया उत्पादन (मूल्य)	1425.11	1800.11
7	वर्ष में की गई बिक्री (मूल्य)	1494.50	2128.30
8	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	84	88
9	वर्ष में अर्जित की गई लाभ की राशि	27.42	18.87
10	वर्ष में हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	219	229
11	वर्ष में हुई हानि की राशि	9.05	25.75

3.3 खादी एवं ग्राम औद्योगिक समितियों से संबंधित सूचना :

खादी एवं ग्रामोद्योग समितियां ऐसी समितियां हैं जो कि अखिल भारतीय खादी कमिशन मुम्बई से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्र होती हैं। इन समितियों में चर्म शोधन करने वाली, चमड़े की वस्तुएं बनाने वाली, गुड़ खांडसारी तैयार करने वाली, तेल निकालने वाली आदि समितियां सम्मिलित होती हैं। इन समितियों के माध्यम से कुशल व अकुशल कामगारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। इन समितियों द्वारा पूर्व वर्ष व इस वर्ष के मध्य किए गए विशेष कार्य-कलापों तथा वर्ष के अंत में इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली तुलनात्मक सूचना निम्नवत है :

खादी एवं ग्राम औद्योगिक समितियों से संबंधित सूचना

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	195	224
2	समितियों की सदस्यता	0.02	0.03
3	प्रदत्त अंश पूंजी	68.61	64.25
4	निजी निधियां	66.19	66.64

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
5	कार्यशील पूंजी	263.57	385.70
6	वर्ष के मध्य किया गया उत्पादन (मूल्य)	-	-
7	वर्ष के मध्य की गई बिक्री (मूल्य)	-	-
8	वर्ष में लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	4	3
9	वर्ष में अर्जित की गई लाभ की राशि	1.28	0.24
10	वर्ष में हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	96	112
11	वर्ष में हुई हानि की राशि	2.53	2.51

3.4 लघु स्तरीय औद्योगिक समितियां :

इस श्रेणी में लकड़ी व पत्थर तथा इंजिनियरिंग का सामान बनाने वाली समितियां आती हैं। यह समितियां छोटे-छोटे दस्तकारों को रोजगार के अवसर देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दे रही हैं। इन समितियों द्वारा पूर्व वर्ष से इस वर्ष के मध्य किए गए व्यवसाय से संबंधित विशेष सूचनाएं निम्नवत हैं:

लघु स्तरीय औद्योगिक समितियां

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	805	693
2	समितियों की सदस्यता	10754	0.10
3	प्रदत्त अंश पूंजी	263.13	301.36
4	निजी निधियां	335.36	296.29
5	कार्यशील पूंजी	2017.59	1296.42
6	वर्ष के दौरान किया गया उत्पादन (मूल्य)	2151.44	2180.76
7	वर्ष के दौरान की गई बिक्री (मूल्य)	2247.11	2312.40

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
8	लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	72	69
9	अर्जित की गई लाभ की राशि	17.75	17.85
10	हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	524	454
11	हानि की राशि	5.80	52.34

3.5 हस्त शिल्प सहकारी औद्योगिक समितियों से संबंधित सूचना :

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2014-2015	2015-2016
1	समितियों की संख्या	04	01
2	समितियों की सदस्यता	158	22
3	प्रदत्त अंश पूंजी	1.53	0.01
4	निजी निधियां	2.20	0.01
5	कार्यशील पूंजी	2.06	0.01
6	वर्ष के दौरान किया गया उत्पादन (मूल्य)	—	—
7	वर्ष के दौरान की गई बिक्री (मूल्य)	—	—
8	लाभ अर्जित करने वाली समितियों की संख्या	1	0
9	अर्जित की गई लाभ की राशि	0.53	0
10	हानि में रहने वाली समितियों की संख्या	3	1
11	हानि की राशि	2.02	0.01

सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी विभागीय व्यवस्था

4.1 सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक।

राज्य में सहकारी प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहकारी प्रशिक्षण संस्थान रोहतक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान में केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं व प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों तथा सहकारी विभाग के उप-निरीक्षकों को राज्य के सहकारी आंदोलन व सहकारी विधि विधान तथा सहकारिता के उद्देश्यों तथा लाभों आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस कोर्स की अवधि 24 सप्ताह की है। प्रशिक्षण संस्थान के पास प्रशिक्षण भवन तथा हॉस्टल है।

4.2 हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंग लि०, चण्डीगढ़।

यह शीर्ष संस्था जिसको हरकोफेड के नाम से जाना जाता है, सहकारी आंदोलन व सहकारी विधि विधान तथा सहकारिता के उद्देश्यों तथा लाभों आदि के बारे में केन्द्रीय व प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है। इस संस्था ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय व प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के कुल 743 सदस्यों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। इस संस्था की अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस है, जिसने वर्ष के दौरान कुल 131.31 लाख रुपये मूल्य का मुद्रण कार्य किया है तथा 153.40 लाख रुपये मूल्य की मुद्रित सामग्री बेची है। यह संस्था फोल्डर, पुस्तिकाएं, पोस्टर तथा हरियाणा सहकारी प्रकाश नामक पत्रिका इत्यादि मुद्रित करके राज्य की भिन्न-2 प्रकार की सहकारिताओं की गतिविधियों व उपलब्धियों को प्रकाशित करती है।

लेखा परीक्षा व्यवस्था

5.1 हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 की धारा 95 के अंतर्गत राज्य में प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक की सभी प्रकार की सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा एक वर्ष में एक बार कराना स्वयं सहकारी समितियों का वैधानिक दायित्व है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा के मुख्य लेखा परीक्षक के पर्यवेक्षण में स्टाफ द्वारा लेखा परीक्षण किया जाता है। सभी प्रकार की समितियों की लेखा परीक्षा करने हेतु मुख्य लेखा परीक्षक सहकारी समितियां हरियाणा की सहायतार्थ निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं।

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक	1
2	उप मुख्य लेखा परीक्षक	2
3	लेखा परीक्षा अधिकारी	1
4	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	5
5	लेखा परीक्षक	7
6	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	12

सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य पर बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण बनाए रखने के आशय से समितियों की लेखा परीक्षा के लिए राज्य को निम्नलिखित 11 वृत्तों में बांटकर प्रत्येक वृत्त का दायित्व एक लेखा परीक्षा अधिकारी को सौंपा गया है।

क्र० सं०	शीर्ष स्थान का विवरण	वृत्त के अंतर्गत आने वाले जिलों अथवा संस्थाओं के नाम
1	कुरुक्षेत्र	जिला कुरुक्षेत्र व कैथल
2	करनाल	जिला करनाल व पानीपत

क्र० सं०	शीर्ष स्थान का विवरण	वृत्त के अंतर्गत आने वाले जिलों अथवा संस्थाओं के नाम
3	रोहतक	जिला रोहतक, सोनीपत व झज्जर
4	गुडगांव	जिला गुडगांव व फरीदाबाद
5	हिसार	हिसार, सिरसा व फतेहाबाद
6	भिवानी	भिवानी व जींद
7	चीनी मिल, सोनीपत	चीनी मिल सोनीपत, पानीपत, पलवल, रोहतक व महम गोहाना।
8	अम्बाला	अम्बाला, यमुनानगर व पंचकूला
9	रेवाड़ी	रेवाड़ी व महेन्द्रगढ़
10	चीनी मिल जींद	चीनी मिल जींद, शाहबाद, करनाल, कैथल व भूना
11	हैफेड	हैफेड व उसकी शाखाएं

5.2 सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण

वर्ष के 2015-16 दौरान कुल 28587 समितियों में से 19028 समितियों का लेखा परीक्षण किया गया जो कि लेखा परीक्षा की जाने वाली समितियों का 66.56 प्रतिशत है। शेष 9559 समितियां लेखा परीक्षा किये जाने से वंचित रह गई हैं जिसका मुख्य कारण लेखा परीक्षा करने वाले कर्मचारियों का अभाव तथा कुछ समितियों का अभिलेख अपूर्ण होना व कुछ का अभिलेख लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध न होना है।

5.3 लेखा परीक्षा प्रशिक्षण :

लेखा परीक्षकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के आशय से उनको भिन्न-2 प्रशिक्षण संस्थानों से समय-2 पर प्रशिक्षण भी दिलवाए जाते हैं। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रबन्ध केन्द्र रोहतक तथा क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, सेक्टर-32 सी, चण्डीगढ़ में दिलवाया जाता है।

5.4 लेखा परीक्षा शुल्क

हरियाणा सहकारी समितियां नियमावली 1989 के नियम 80(1) के अंतर्गत प्रत्येक सहकारी समिति की लेखा परीक्षा किए जाने के प्रतिफल समिति से विशेष रूप से निश्चित की गई दर से लेखा परीक्षा शुल्क वसूल की जाती है। लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारण व उसकी वसूली संबंधी इस वर्ष का विवरण निम्नानुसार है:

लेखा परीक्षा शुल्क

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	2015-2016
1	पूर्व वर्ष के अंत में बकाया रही राशि सहित कुल मांग	1614.42
2	वर्ष के मध्य वसूल की गई राशि	913.19
3	वर्ष के अंत पर शेष रही राशि	700.05
4	मांग की तुलना में बकाया का प्रतिशत	56.55

पंचवर्षीय योजना में सहकारिता की प्रगति
वर्ष 2015-2016

योजना अनुसार वर्ष 2015-2016 के लिए स्वीकृत तथा उपयोग हुए परिव्यय का विवरण निम्न अनुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत परिव्यय	उपयोग हुई राशि
1	प्रशासन व निर्देशन मुख्यालय में स्टाफ		
	(क) संयुक्त रजिस्ट्रार उड़नदस्ता के साथ स्टाफ	—	—
	(ख) रजिस्ट्रार कार्यालय की शाखाओं के लिये	596.20	509.91
	(ग) रजिस्ट्रार कार्यालय मोनिटरिंग सैल के लिये	93.80	78.68
	(घ) उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिये	—	—
	(घ) जिला स्तर पर उप रजिस्ट्रार/स.र. के पद बनाने के लिए	4037.50	3459.56
	(च) अधिकारियों के वाहनों के लिये प्रावधान	9.00	2.91
	(छ) लाइब्रेरी के लिए	10.40	7.70
	(ज) स्वयं सहायता समूहों के लिए	—	—
2	ऋण सहकारिताओं के लिए :		
	(क) रिस्क फण्ड के लिए	—	—
	(ख) ब्याज अनुदान के लिए	15100.00	14563.99

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत परिव्यय	उपयोग हुई राशि
	(ग) एल.टी.ओ. फण्ड के लिए	3000.00	2118.38
	(घ) डिपोजिट गारंटी स्कीम	2.00	0.60
3	दुग्ध सहकारिता		
	(क) महिला दुग्ध सहकारिता को सहायता	20.00	15.00
	(ख) दुग्ध सहकारिताओं को सहायता प्रदान करना	2370.00	2318.22
	(ग) मिल्क प्लांट, रोहतक का विस्तार करना	Scheme completed	
	(घ) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा ढांचागत गुणवत्ता के सुदृढीकरण के लिए सहायता (100% cess)	-do-	
4	चीनी मिलें		
	(क) चीनी मिलज प्रसंग को हिस्सापूजी प्रदान करना	—	—
	(ख) बायोलॉजिकल लैब स्थापित करना	—	—
5	प्रशिक्षण तथा प्रचार. प्रसार		
	(क) सदस्य शिक्षा प्रशिक्षण के लिए सहायता	345.00	345.00
	(ख) प्रचार-प्रसार के लिए सहायता	145.00	108.75
6	अन्य (क) आई.सी.डी.पी (अंशदान)	474.06	304.93
	(ख) हिस्सापूजी	2526.00	1270.92
	(ग) ऋण	680.59	680.59

अध्याय-7

चौकसी ब्यूरो से संबंधित सूचना
वर्ष 2015-2016 के दौरान चौकसी ब्यूरो से संबंधित हुए प्रकरणों का ब्यौरा :

क्र० सं०	प्रकरण के अंतर्गत आरोपी बने व्यक्ति का नाम व पद	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नवीनतम स्थिति
1.	श्री राजेन्द्र सिंह सिहाग, लेखा परीक्षा अधिकारी	रिश्वत लेना	अधिकारी निलम्बित चल रहा है।
2.	श्री धर्मवीर सिंह, मुख्य लिपिक	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ, हिसार के विरुद्ध मिटिंग में ना पहुँचने के कारण उसे दिए गए नोटिस को फाईल कराने के एवज में श्री धर्मवीर सिंह, मुख्य लिपिक ने श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक से दो हजार रुपये रिश्वत के तौर पर तिथि 13.11.2015 को लिए और उसे राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार द्वारा रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार के थाना में एफ0आई0आर0 नं०-44 द्वारा पी0सी0एक्ट 1988 के अंतर्गत अपराधिक मामला दर्ज किया गया है।	कर्मचारी निलम्बित चल रहा है।

अनुलग्नक

वर्ष 2015-2016
विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों का ब्यौरा
मुख्यालय में स्वीकृत पद

क्र० सं०	पदों का विवरण	स्वीकृत पद	
1	2	3	
1.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	01	
2.	संयुक्त रजिस्ट्रार प्रशासन, (मु.)	01	
3.	अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, (मु.)	03	
4.	मुख्य लेखा परीक्षक	01	
5.	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक	01	
6.	संयुक्त रजिस्ट्रार	02	
7.	उप-रजिस्ट्रार	02	
8.	उप-मुख्य लेखा परीक्षक	02	
9.	स्थापना अधिकारी	01	
10.	सहायक रजिस्ट्रार	01	
11.	आंकड़ा अधिकारी	02	
12.	उप-जिला न्यायवादी	01	
13.	सहायक जिला न्यायवादी	01	

क्र० सं०	पदों का विवरण	स्वीकृत पद	
1	2	3	
14.	लेखा परीक्षा अधिकारी	01	
15.	अधीक्षक	03	
16.	निजी सचिव	01	
17.	उप अधीक्षक	06	
18.	निरीक्षक	15	
19.	निरीक्षक ऑडिट	07	
20.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05	
21.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	12	
22.	उप-निरीक्षक सामान्य	11	
23.	सहायक	27	7 posts are on contract basis
24.	लिपिक	26	
25.	आंकड़ा सहायक	04	
26.	निजी सहायक	—	
27.	वरिष्ठ आशुलिपिक	05	
28.	कनिष्ठ आशुलिपिक	02	

क्र० सं०	पदों का विवरण	स्वीकृत पद	
1	2	3	
29.	आशुलिपिक	03	
30.	चालक	05	
31.	रेस्टोरर	01	
32.	सेवक	22	
33.	स्वीपर	01	
34.	चौकीदार	02	
35.	स्वीपर कम चौकीदार	01	
36.	जूनियर लाईब्रेरियन	01	
37.	सहायक लेखा अधिकारी	01	
	कुल	181	

क्षेत्रीय अमले के स्वीकृत पद

क्र० सं०	पदों का विवरण	स्वीकृत पद	
1	उप-रजिस्ट्रार	06	
2	प्रधानाचार्य	01	
3	उप-मुख्य लेखा परीक्षक	—	
4	उप-अधीक्षक	06	

क्र० सं०	पदों का विवरण	स्वीकृत पद	
5	सहायक रजिस्ट्रार	32	
6	लेखा परीक्षा अधिकारी	11	
7	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	295	
8	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	34	
9	निरीक्षक ऑडिट	118	
10	निरीक्षक सामान्य	182	
11	लेक्चरर	05	
12	उप निरीक्षक सामान्य	585	
13	मुख्य लिपिक/लेखाकार	41	
14	लिपिक	331	42 posts are on contract basis
15	आंकड़ा सहायक	19	
16	आशुलिपिक	29	17 posts are on contract basis
17	चालक	08	
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	295	
19	कुल	1998	